

प्रस्तुप 26 (R.D.Teng H.J. Stark is ended)
(नियम 4क देखिए) निर्वाचन क्षेत्र से

୬୪ ବାଜପ୍ର

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

10/21/17 27.21

.....(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए

(नवाचन क्षत्र का नाम) टीएसी समूह (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए
रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र.

पुत्र/पुत्री/पत्नी आयु ५० वर्ष
का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं

सत्यानष्टा स प्रातज्ञा करता हूँ/ करता हूँ/ शपथ पर निम्नलिखित पद्धति परता हूँ/ परता हूँ।

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

- (I) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लागू नहीं

(II) पुलिस थाना (थाने).....जिला (जिले).....राज्य.....लागू नहीं

(III) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है..... लागू नहीं

(IV) न्यायालय,जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की कई लागू नहीं

(V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे..... लागू नहीं

(VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं लागू नहीं

2. मुझे किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा

(1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/ नहीं किया गया है। ल्ताऊ नहीं

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा)

- (I) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं लागू नहीं

(II) न्यायालय, जिसने दंडित किया है लागू नहीं

(III) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं राज्य लागू नहीं

(IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है लागू नहीं

(V) तारीख (तारीख) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे लागू नहीं

(VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं लागू नहीं

रथानः— काश्मीर

तारीखः— ७-१२-०१२

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सवात्मन ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपाई नहीं गई है।.....

३५



तक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाए — *Marsupial mammals*, पृष्ठ 15 का 6

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

Selbst
Sichtung